

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2021-22/483

दिनांक : 19.01.2022

उमंग सावलका (निदेशक)

शिवज्ञान बिल्डकोन प्रा. लि.

जी-2, शिवज्ञान लकजोरा स्कीम,

राजमहल परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या-14 R-1 (क्षेत्रफल 3300.00 वर्ग मीटर) शिप्रापथ, मानसरोवर योजना, जयपुर के रिहायशी बहुमंजिला आवासीय परिसर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत।

महोदय,

1. उक्त स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम-2017 के तहत जारी की गयी है।
2. उक्त स्वीकृति एकीकृत भवन विनियम-2017 के बिन्दु संख्या-14.11 के अनुसार पूर्व में जारी अनुमोदित मानचित्रों की दिनांक से 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं स्वामित्व विवादित होने की स्थिति में भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होंगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आवेदनकर्ता द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
12. आवेदनकर्ता की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
13. अनुमोदित संशोधित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है वह भाग आवेदनकर्ता द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है जिसे आवेदनकर्ता देने के लिए बाध्य रहेंगे।

14. अनुमोदित संशोधित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर आवेदनकर्ता द्वारा चस्पा कर प्रदर्शित की जावेगी, साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित किया जावेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्प्ले नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावेगा।
15. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे।
16. एकीकृत भवन विनियम-2017 के विनियम संख्या 16 एवं 17 के अनुसार भवन का निर्माण पूर्ण होने पर भवन निर्माणकर्ता को पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एसई/डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की होगी।
18. भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र चाहने पर संस्था द्वारा लेबर डिपार्टमेंट में लेबर सैस स्वयं के स्तर पर जमा करवाकर संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
19. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय स्थायी अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
20. आवेदनकर्ता द्वारा कचरापात्र की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न :- अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्र का एक सैट।

भवदीय

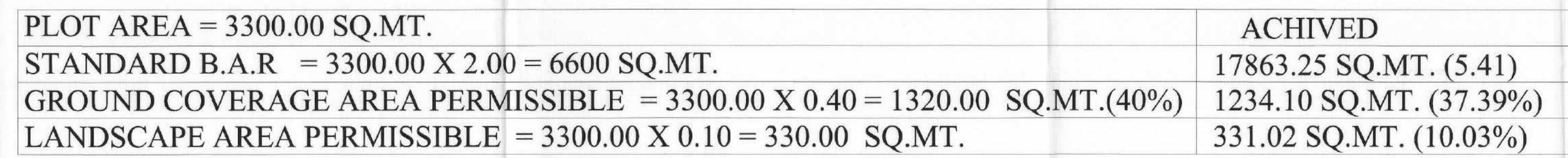

(अनिल माथुर) 17/01/22

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

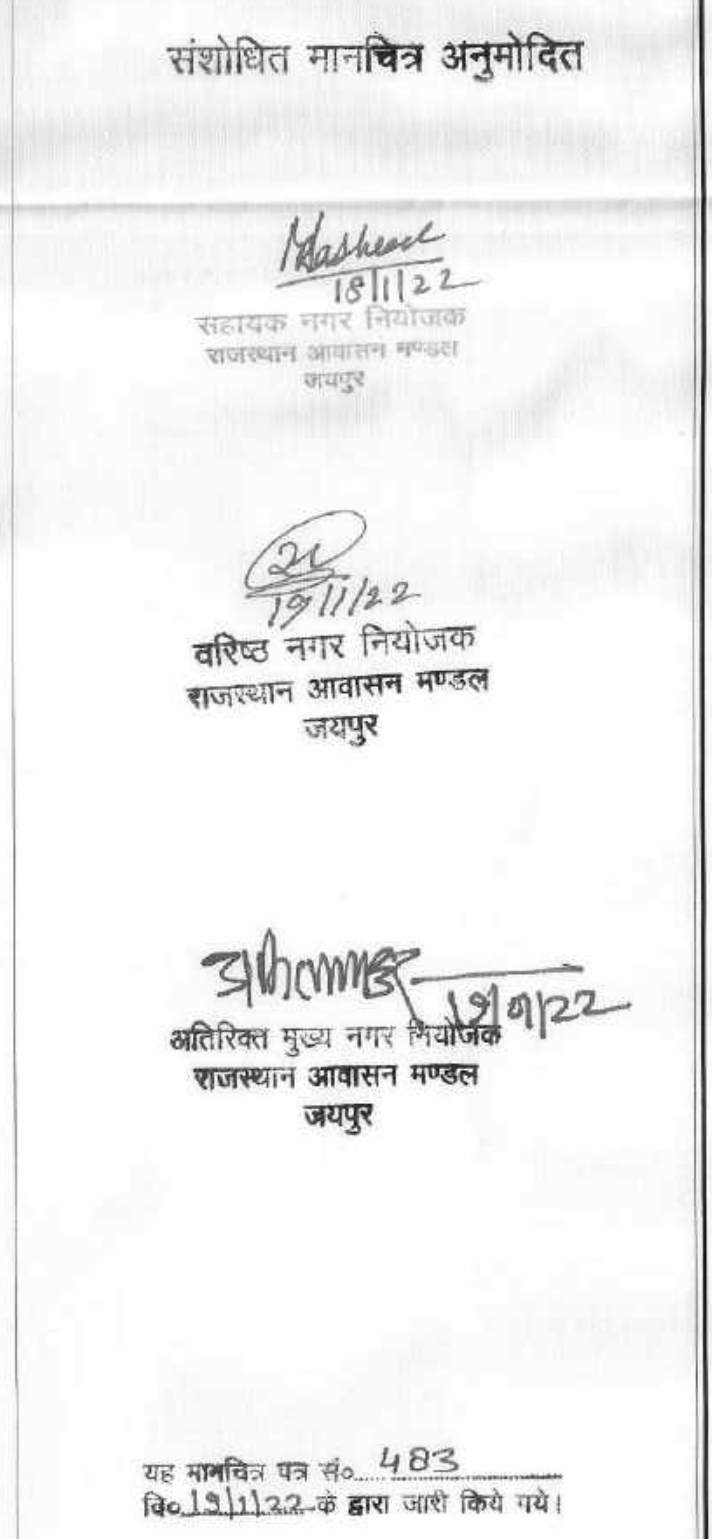
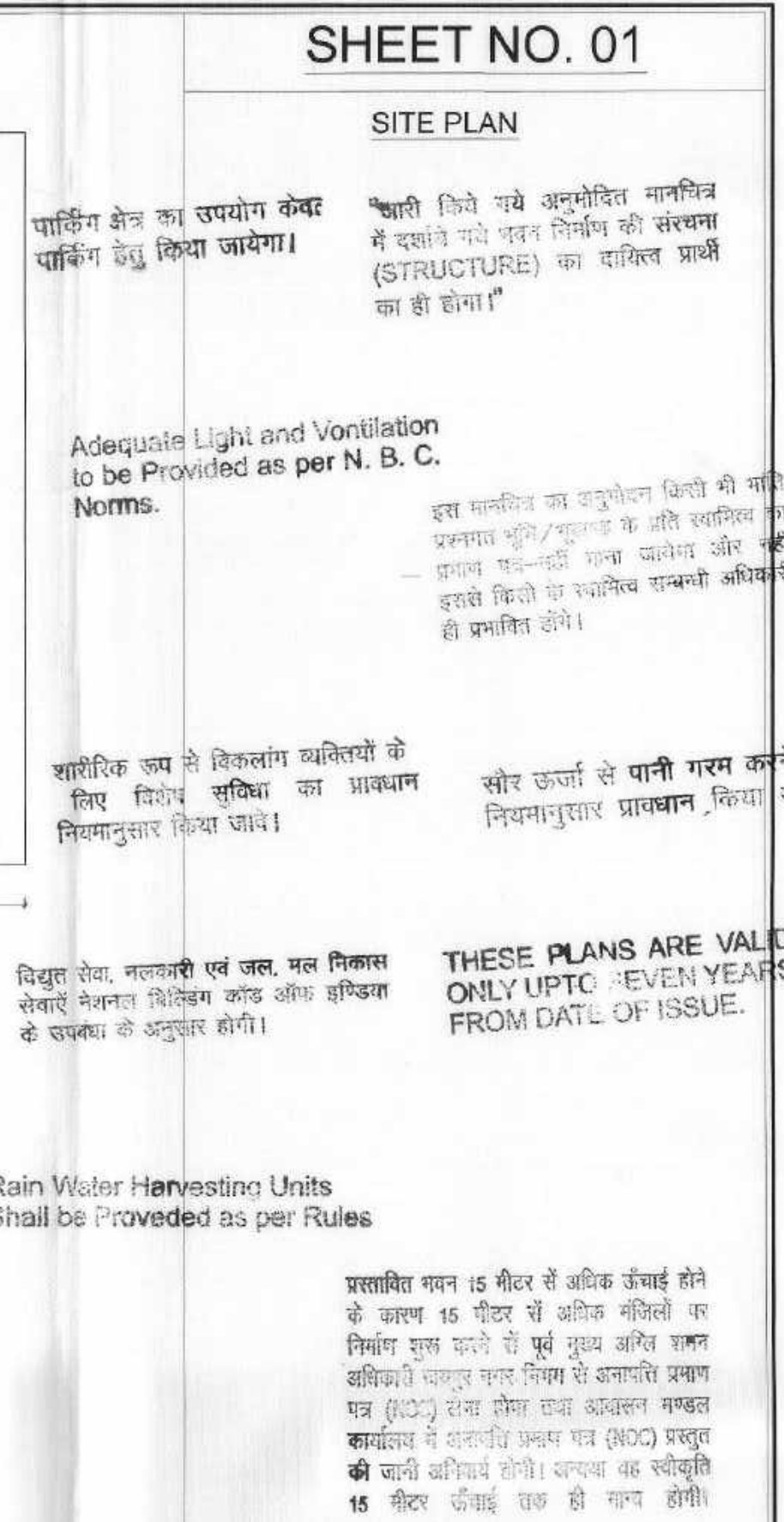
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-नवम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित संशोधित भवन मानचित्रों के अनुसार हों।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक



PARKING CALCULATIONS:		
NO. OF C.U.'S REQUIRED @ 1 C.U. PER		
RESIDENTIAL PARKING	BAR ARCHAEVATED 116	17863.25 116 = 155.33 C.U.'S
26 % VISITOR PARKING = 38.83 C.U.'S		
TOTAL PARKING REQUIRED = 155.33 + 38.83 = 193.66 C.U.'S		
75 % CAR PARKING REQ = 193.65 OF 0.75 = 145.24 C.U., CAR 146 S4V		
25 % SCOOTER PARKING REQ = 193.65 OF 0.25 = 48.41 C.U. (145.23 SCOOTER)		
PARKING AVAILABLE =		
CAR PARK IN OPEN & COVERED AREA = 80 NOS		
CAR PARK IN UPPER BASEMENT FLOOR = 33 NOS & MECH. 08-41 C.U.		
CAR PARK IN LOWER BASEMENT FLOOR = 31 NOS & MECH. 14-45 C.U.		
TOTAL = 146.00 NOS		
2 TWO WHEELERS IN OPEN ON G.F. = 20 NOS		
2 TWO WHEELERS IN UPPER BASEMENT = 54 NOS		
2 TWO WHEELERS IN LOWER BASEMENT = 72 NOS		
TOTAL = 146 (48.66 C.U.) NOS		
TOTAL PARKING PROVIDED = 146+48.66 = 194.66 C.U.		



“हमारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
दशविंशे शताब्दी के नवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।”

स मानचित्र का अनुसोदन
स्वागत भूमि/भूलाब्ध के प्रा
साथ पत्र-नहीं भाना जय
तर्क किसी के शक्तिस्थ सम
प्रभावित होंगे।

और ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान निर्धारित है।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

विधित भाग 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
कारण 15 मीटर से अधिक गिरावों पर
गर्म ताप करने से पूर्व मुला अवलक्षण
केवल कामकाज मात्र मिल से अवगति प्रमाण
(MOC) लेना होगा तथा वास्तव गडबड
वर्षाकाल में अवगति प्रमाण पर (MOC) प्रत्युत
जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

18/1/22

19/01/22

यह मानचित्र पत्र सं० 483
दि० 13/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

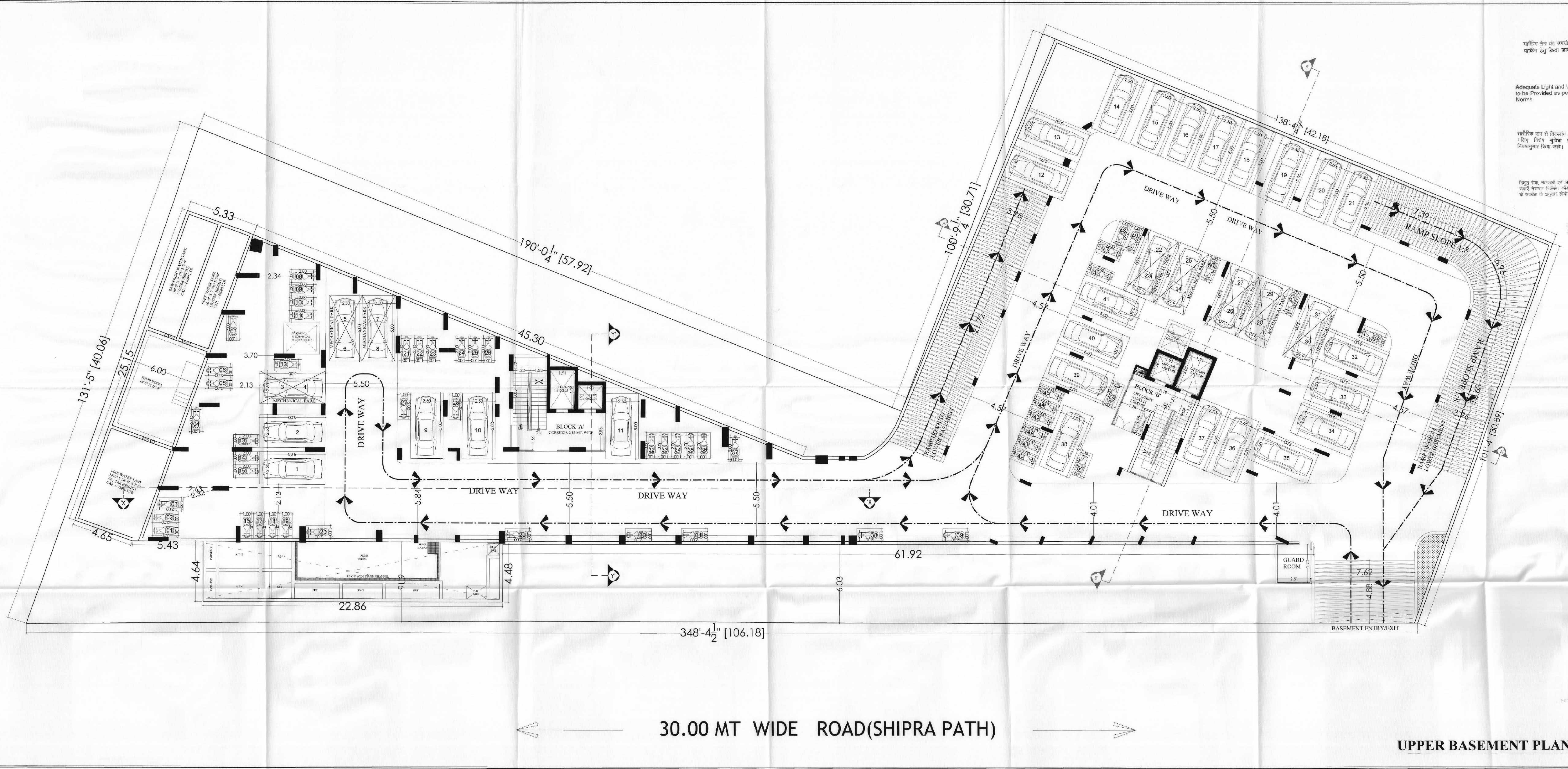
SCALE 1:100 NORTH POINT

For Shingya Buildcon Pvt. Ltd.

SYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97722030

ER	ARCHITECT
----	-----------

LOWER BASEMENT PLAN



SHEET NO. 03
UPPER BASEMENT PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शरीरिक्त रण से विकसित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाये।

विद्युत तैरा, मलवारी एवं जल नल निस्स सेवारी मेकानल डिक्किा कौक ऑक डिक्किा के तालिका के अनुसार होंगे।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

समाहित पवन 18 नीलर से अधिक नीलरों के के जलन 18 नीलर से अधिक नीलरों का निर्माण शुद्ध करने से पूर्व शुद्ध जलन वनन अधिकारी समुदाय पर निम्न से अनाति वनन पर (100%) का शुद्ध जलन वनन वनन कालवलय में अनाति वनन पर (100%) शुद्ध की पानी अतिवलय होंगे। वनन पर नीलर 18 नीलर से अधिक तक ही शुद्ध होंगे।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Mahesh
13/01/22
सहायक नगर निगमजक
समाधान अनुसार वनन

R
13/01/22
सहायक नगर निगमजक
समाधान अनुसार वनन

श्रीधर
13/01/22
अतिरिक्त नगर नगर निगमजक
समाधान अनुसार वनन

नल वननन पर नल 4.83
नल 13/01/22 के नल वनन नल नल

DRAWING TITLE
UPPER BASEMENT PLAN

PROJECT TITLE
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-X, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2708227/2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100
NORTH POINT

OWNER
ARCHITECT

30.00 MT WIDE ROAD(SHIPRA PATH)

UPPER BASEMENT PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्न सुविधा का प्रावधान निम्नानुसार किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, गैस निष्कास सेक्टर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉट ऑफ डिपार्टमेंट के कार्यालय को अनुसरण करें।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित नगर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र के अन्तर्गत 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले इमारतों का निर्माण करने से पूर्व नगर अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नगर निगम के अधीनस्थ नगर पंच (N.C.) या नगर पंच अध्यक्ष नगर पंच (N.C.) या नगर पंच अध्यक्ष नगर पंच (N.C.) के पास प्रस्तावित करने के लिए अनिवार्य है।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22

सहायक नगर निरीक्षक

नगरपालिका कार्यालय

जयपुर

18/11/22

वरिष्ठ नगर निरीक्षक

नगरपालिका कार्यालय

जयपुर

18/11/22

अतिरिक्त नगर निरीक्षक

नगरपालिका कार्यालय

जयपुर

18/11/22

यह मानचित्र पत्र नं. 483

दि. 13/11/22 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE
GROUND (STILT) FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14/11, SCHEME MANSARVAR
DIVISION IX, JAIPUR.

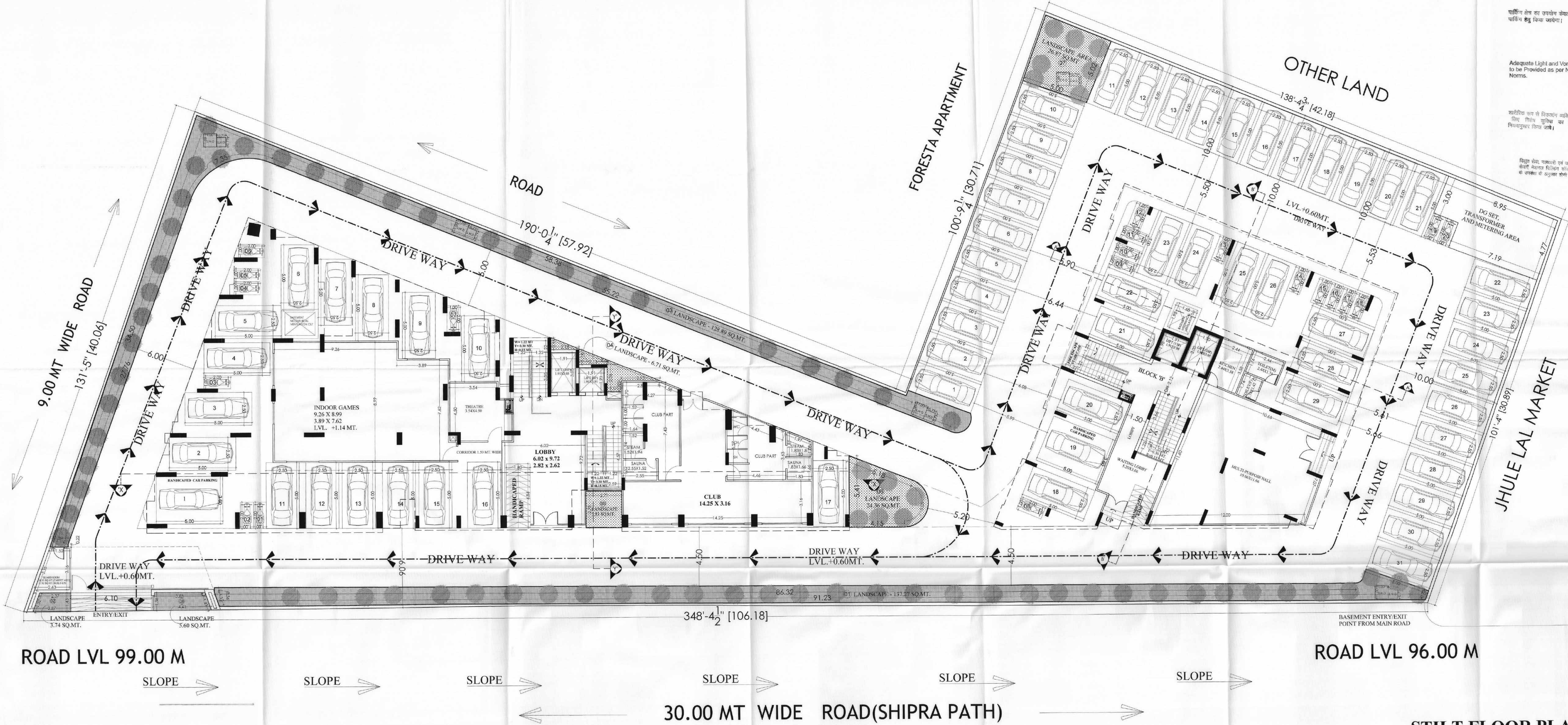


124 HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100 NORTH POINT

For Shriyan Design Pvt. Ltd.
Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
CA/97/22030

OWNER ARCHITECT



STILT FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Vontilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

“आसी लिये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का हो जेना।”

इस मानदित का अनुमोदन किरौ श्री भाति
प्रसन्नगत धूमि/भूराष्ट्र के प्राति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-वही नामा जसरोना और नहीं
इससे किरौ के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
हो प्रभावित होगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान दिनांक २०१७।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास
सेवाएँ, नेशनल डिस्ट्रिंग कौड ऑफ इण्डिया
के उपबंधों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मजिरीयों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मूल्य वारिजेशन अथवा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रमाण निष्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र (NOC) सेवा लेना तथा आवश्यक नक़ल कार्यवाही से अग्राधिकार प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जाये यह निर्णय होनी। अन्यथा यह प्रतिकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही माना होये।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Masshead

नगर नियोजक
आवासन मण्डल

21
19/1/22

नगर नियोजक
आवासन भण्डाल

191

मुख्य नगर नियोजक
आवासन मण्डल

2. के द्वारा जारी किये

DRAWING TITLE

FIRST FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT	Ad
-------------	----

Shri. B. S. Bhatnagar Pvt. Ltd.

~~10/10/10~~

GYANEND

SHEKHAWAT
1
120

FIRST FLOOR PLAN

प्राप्ति किया गया अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों ही प्रभावित होंगे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

**Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules**

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व गुरुत्व बल समान आवृत्ति पर गुरुत्व नमूने निर्माण से अनुप्राप्त प्रतिक्रिया पर (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक समकाल कार्यवाही में अनुप्राप्त प्रमाण पर (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह संरचना 15 मीटर ऊँचाई तक ही मरणा होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

हायक नगर नियोजक
जिल्ह्याने आयतन मंडल
पत्रपुर

24
19/11/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/08/22
प्रतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं० 483
दि० 19/1/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE
TYPICAL (SECOND TO 11TH FLOOR PLAN)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSARVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT	
-------------	-------------	---

Swiggin Building Pvt. Ltd.
Director
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT
-------	-----------

2 TO 11 TH (TYPICAL) FLOOR PLAN

पार्षदों के द्वारा निर्धारित मानक
परिचालन हेतु किया जाएगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

आवश्यक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
निम्नानुसार किया जाये।

शुद्ध कचरा, गन्नाही एवं जल नाल निकाल
सेवरे केन्द्र तक सिलिंडर बॉल ऑफ इन्फ्लेम
के उपस्था के अनुसार होवे।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मजबूत का
निर्माण होना चाहिये। इसमें लोडिंग और
ऑफलोडिंग के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ
होनी चाहिए। (N.B.C. के अनुसार प्रावधान अनुसार
कम से कम 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने पर
15 मीटर ऊँचाई तक ही कम होवे।)

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22
राजस्थान नगर नियोजन
आयुक्त, जयपुर

19/11/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/01/23
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 13/11/22 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE

12 TH FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R.T. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION IX, JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

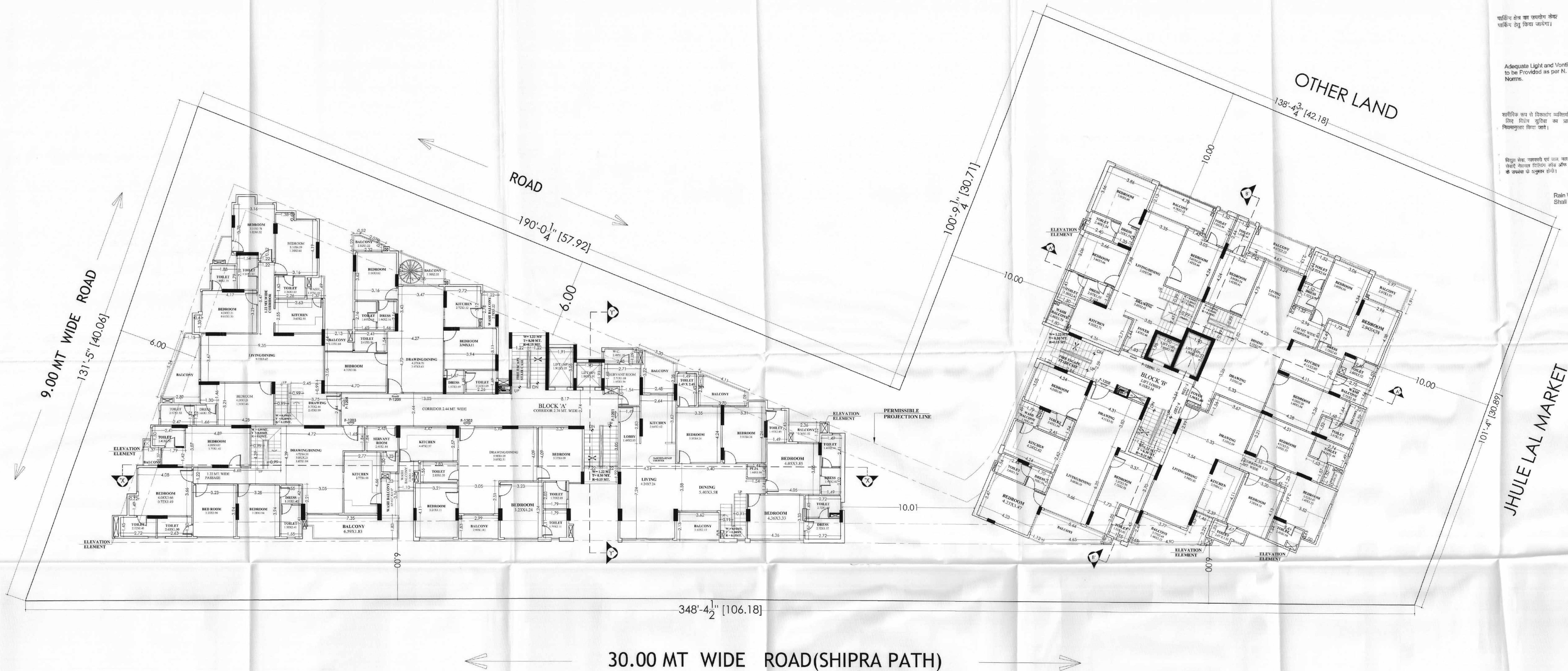
SCALE 1:100

NORTH POINT

For Signature: *[Signature]*
DR. *[Signature]*
YANENDRA SINGH SHEKHAWAT
ARCHITECT
CAPT/22030

OWNER ARCHITECT

12 TH FLOOR PLAN



30.00 MT WIDE ROAD(SHIPRA PATH)

“सारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।”

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रत्यक्ष भूमि/भूस्पर्श के प्रति स्वामित्व का प्रमाण प्रक-नहीं माना जायेगा और नहीं इस्तेमाल किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों की प्रमाणाई होगी।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

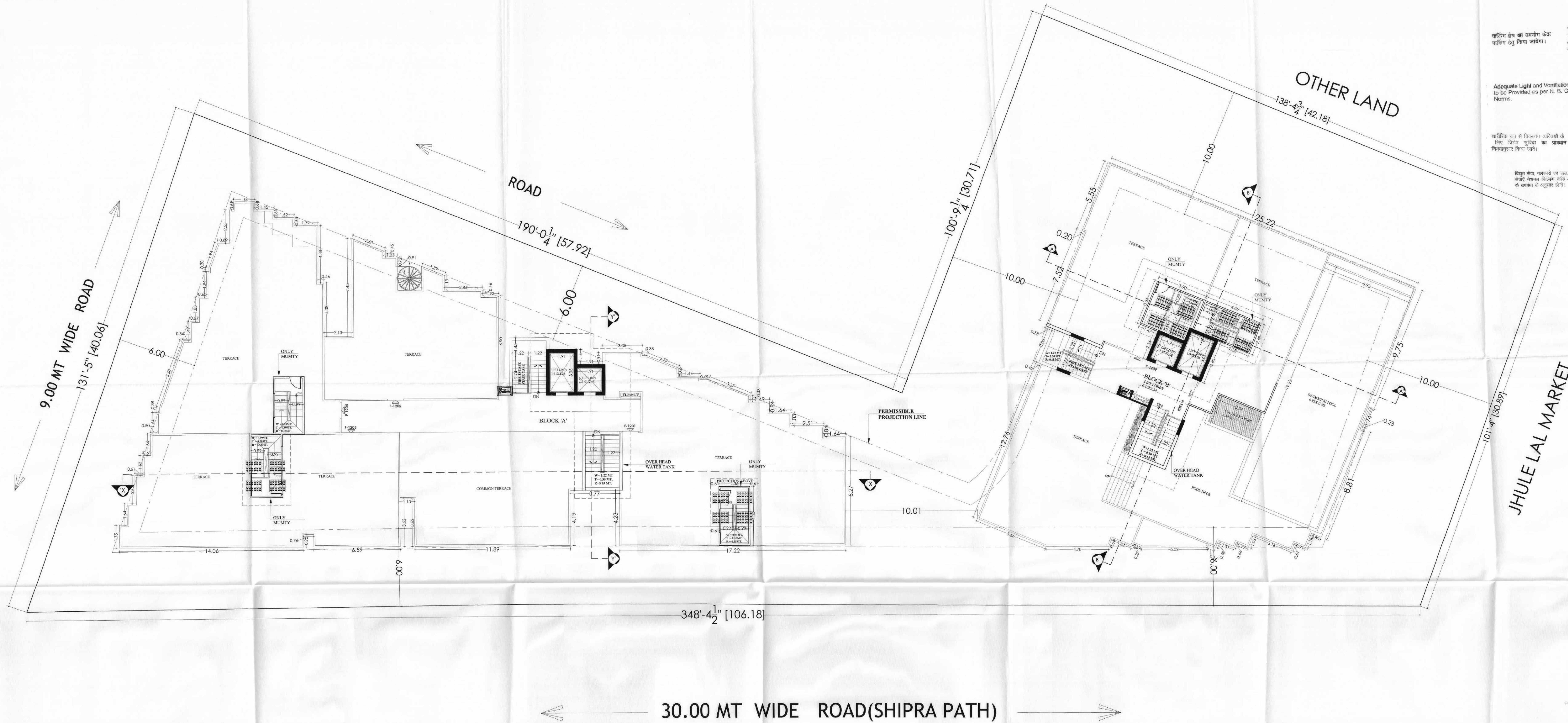
नस्तावित गवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अंगित शान्त अधिकारी कागज़ नगर निगम से वास्तविक प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक सख्त न्यायलय में शतावधि प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत में जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 5 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

18/11/22
 सहायक नगर नियोजक
 राजस्थान अधिवारण मण्डल
 ज-३५

अतिरिक्ता मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

DRAWING TITLE

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSARVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.

[illegible]

ELEVATION BLOCK (A)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।

"जहाँ किये गये अनुमोदित भवन में बनाये गये पार्किंग क्षेत्र का संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रदाता का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

सामयिक रूप से विकसित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाये।

विशुद्ध सेवा, नज़रबंदी एवं जल, मल नििकास सेवाएँ मेहनत मिलाने को और अधिक के उपकरण के अनुसार होंगे।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मजिदों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मूलाधिकार प्रदाता अधिकारी द्वारा भवन निर्माण के अनुमति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा शासनालय मजिद कार्यालय में प्रस्तावित भवन पत्र (NOC) प्रस्तुत की जाती होगी। अतः भवन का स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही प्रदान होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22

राजस्थान नगर नियोजक कार्यालय अजमेर जयपुर

18/11/22

वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

18/11/22

अतिरिक्त नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

सब मानचित्र पत्र सं. 483 दि. 18/11/22 के तहत जारी किये गये।

DRAWING TITLE
ELEVATION BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1 SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-KX, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE : 0141-2705227/2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100 NORTH POINT

18/11/22
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER ARCHITECT

MACHINE ROOM

MACHINE ROOM
LVL.+48.59 M

WATER TANK
LVL.+45.84 M

MUMTY
LVL.+43.84 M

PERAPET WALL
LVL.+42.34 M

TERRACE FLOOR
LVL.+40.84M

12 TH FLOOR
LVL.+37.79 M

11 TH FLOOR
LVL.+34.74 M

10 TH FLOOR
LVL.+31.69 M

NINTH FLOOR
LVL.+28.64 M

EIGHTH FLOOR
LVL.+25.59 M

SEVENTH FLOOR
LVL.+22.54 M

SIXTH FLOOR
LVL.+19.49 M

FIFTH FLOOR
LVL.+16.44 M

FOURTH FLOOR
LVL.+13.39 M

THIRD FLOOR
LVL.+10.34 M

SECOND FLOOR
LVL.+7.29 M

FIRST FLOOR
LVL.+4.24 M

GROUNDSTILT FLOOR)
LVL.+0.84M.

DRIVE-WAY LVL.
ROAD LVL.+0.00

40.84

7.75

FRONT ELEVATION

RIGHT ELEVATION

40.84

7.75



REAR ELEVATION



LEFT ELEVATION

SHEET NO. 10

ELEVATION BLOCK (A)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।

आपने बिना गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाए गये स्थान निर्देश को संरचना (STRUCTURE) का दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं किया है।

इस मानचित्र का उपयोग किसी भी प्रकार के निर्माण, भू-सुधार, या अन्य स्थापित या अस्थापित पर-एरी ग्राहक द्वारा नहीं किया जा सकता है।

आपने बिना गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाए गये स्थान निर्देश को संरचना (STRUCTURE) का दृष्टिकोण प्रदर्शित नहीं किया है।

सुरक्षित रूप से विकसित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रदान किया जाएगा।

विद्युत सेवा, पानी, एवं जल, गैस, और अन्य सेवाएं निर्माण के दौरान और बाद में उपलब्ध होनी चाहिए।

सुरक्षित रूप से पानी गरम करने को निश्चयानुसार प्रदान किया जाएगा।

THese PLANS ARE VALID ONLY UP TO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक की गहराई तक निर्माण होना चाहिए। यह भवन अधिकतम 15 मीटर की गहराई तक निर्माण होना चाहिए। (NOC) होने के बाद ही निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है। अन्यथा यह लैगल नहीं है।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Handwritten signature
18/11/22
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

Handwritten signature
19/11/22
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

Handwritten signature
19/11/22
राजस्थान आवासन मंत्रालय
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483 दिनांक 19/11/22 के द्वारा जारी किया गया है।

DRAWING TITLE

ELEVATION BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR DIVISION-IX, JAIPUR



ideas

ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE:- 0141-2786227/2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

OWNER

ARCHITECT

एकित क्षेत्र का उपयोग केवल
एकित क्षेत्र के लिए किया जायेगा।

एकित क्षेत्र के अंतर्गत मानचित्र
में दर्शाए गए भवन निर्माण को संरचना
(STRUCTURE) का अंतिम प्रारूप
का हो होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

आवश्यक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी नति
बेसमल भूनि/प्लान के प्रति स्वीकृति का
प्रमाण प्रदान नहीं माना जायेगा और नही
इसके किसी के स्वामित्व सम्पत्ती अधिकारी
ही प्रमाणित होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

सौर सेवा, मालकरी एवं जल, मल निकास
सेवा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया
के उपबंध के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मॉडिफाईड
निर्माण शुल्क देने से पूर्व मुख्य अधिकारी
अधिकारी को भवन निर्माण से संबंधित प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यकता पड़ने
पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया (NBC)
की जाँच आवश्यक होगी। अतः यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22
राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/11/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

31/01/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र क्र. सं. 483
दि. 19/11/22 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE
ELEVATION BLOCK (B)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-X, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2705227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

OWNER ARCHITECT
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/197/22030

FRONT ELEVATION

LEFT ELEVATION

ग्राहक क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

कैसे किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाते गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का वास्तव्य प्रारंभ
का ही होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी मानि
प्रमाणित भूगोल/सूचना के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण नहीं माना जाएगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों
को प्रभावित होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, नल निकास
सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्फ्रस्ट्रक्चर
के उपबंध के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अधिकार
अधिकारी राजस्थान नगर नियोजन से अनुमति प्रदान
पत्र (NOC) लेना होगा तथा उपर्युक्त मंडल
कार्यालय में स्थापित प्रत्येक पत्र (NOC) प्रस्तुत
की प्राप्ति अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22

राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/11/22

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

21/11/22

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 483
दि. 19/11/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

ELEVATION BLOCK (B)

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 RI. SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE: 0141-2708227/2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

For Signature & Stamp

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/197/22030

OWNER

ARCHITECT

MACHINE ROOM

MACHINE ROOM
LVL.+48.59 M

WATER TANK
LVL.+45.84 M

MUMTY
LVL.+43.84 M

PERAPET WALL
LVL.+42.34 M

TERRACE FLOOR
LVL.+40.84 M

12 TH FLOOR
LVL.+37.79 M

11 TH FLOOR
LVL.+34.74 M

10 TH FLOOR
LVL.+31.69 M

NINTH FLOOR
LVL.+28.64 M

EIGHTH FLOOR
LVL.+25.59 M

SEVENTH FLOOR
LVL.+22.54 M

SIXTH FLOOR
LVL.+19.49 M

FIFTH FLOOR
LVL.+16.44 M

FOURTH FLOOR
LVL.+13.39 M

THIRD FLOOR
LVL.+10.34 M

SECOND FLOOR
LVL.+7.29 M

FIRST FLOOR
LVL.+4.24 M

GROUND(STILT FLOOR)
LVL.+0.84M.
DRIVE-WAY LVL.
ROAD LVL.+0.00

RIGHT ELEVATION

MACHINE ROOM

MACHINE ROOM
LVL.+48.59 M

WATER TANK
LVL.+45.84 M

MUMTY
LVL.+43.84 M

PERAPET WALL
LVL.+42.34 M

TERRACE FLOOR
LVL.+40.84 M

12 TH FLOOR
LVL.+37.79 M

11 TH FLOOR
LVL.+34.74 M

10 TH FLOOR
LVL.+31.69 M

NINTH FLOOR
LVL.+28.64 M

EIGHTH FLOOR
LVL.+25.59 M

SEVENTH FLOOR
LVL.+22.54 M

SIXTH FLOOR
LVL.+19.49 M

FIFTH FLOOR
LVL.+16.44 M

FOURTH FLOOR
LVL.+13.39 M

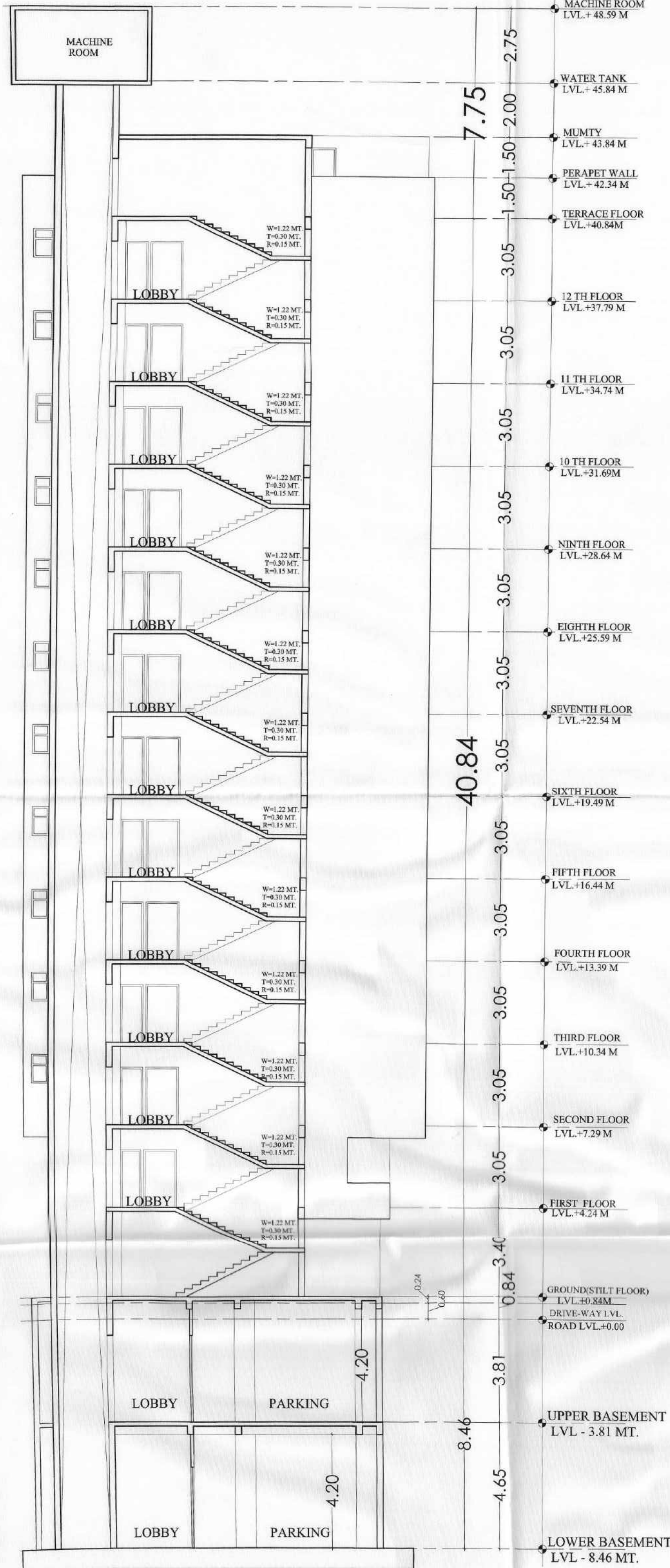
THIRD FLOOR
LVL.+10.34 M

SECOND FLOOR
LVL.+7.29 M

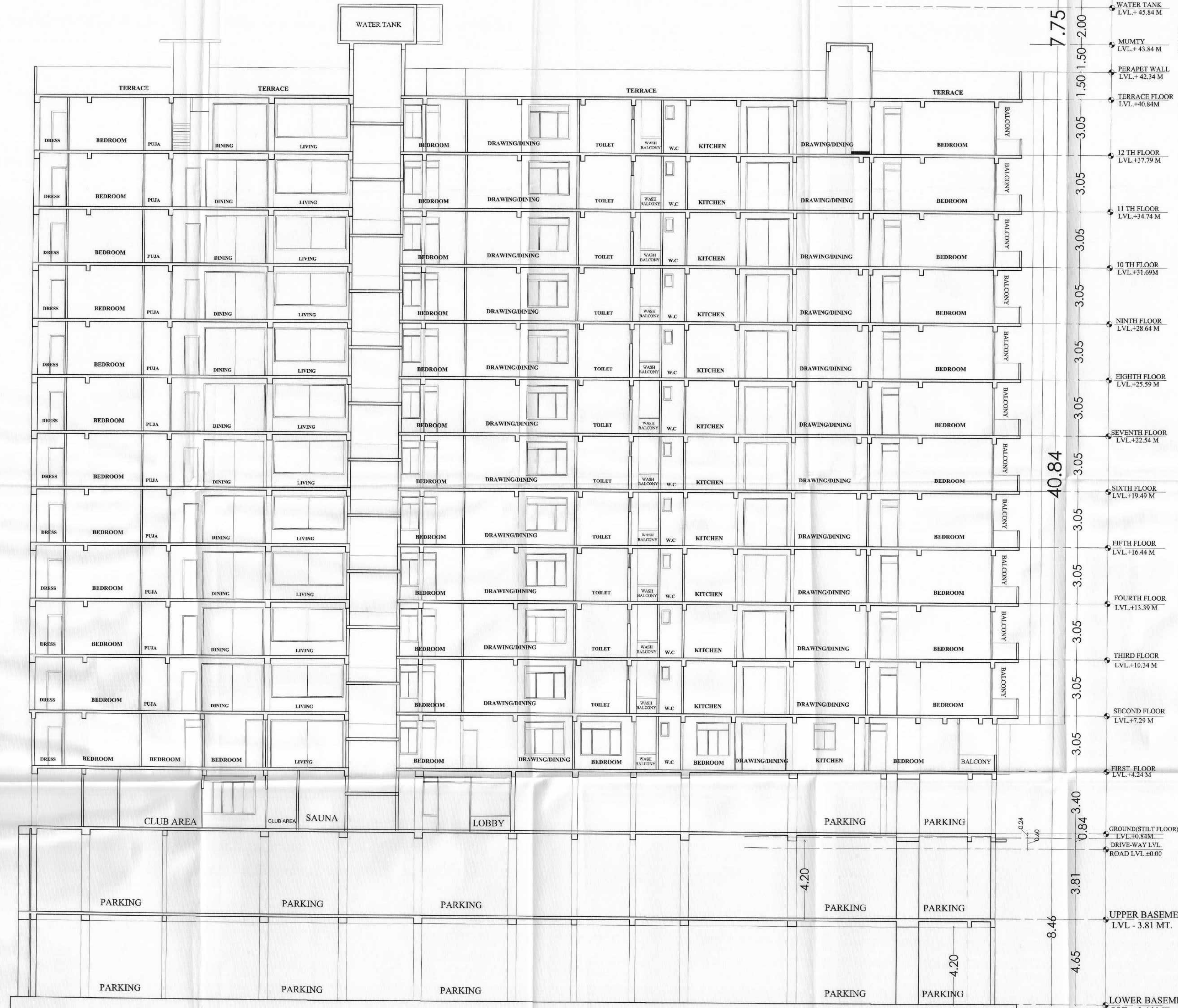
FIRST FLOOR
LVL.+4.24 M

GROUND(STILT FLOOR)
LVL.+0.84M.
DRIVE-WAY LVL.
ROAD LVL.+0.00

REAR ELEVATION



BLOCK -A (SECTION -Y'-Y)



BLOCK -A (SECTION -X'-X)

SHEET NO. 13

SECTIONS BLOCK (A)

आनी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये क्षेत्र निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का वर्णित प्रारंभ का ही होगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Noms.

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

विद्युत, गैस, नालकरी एवं जल, गल निकास वगैरह आवश्यक विभिन्न लॉट और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुसार होनी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित प्लन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मजिदों का निर्माण शुरू करने से पूर्व मुक्त ऑन साइट इंजीनियरिंग सर्वेयर द्वारा निर्माण से सम्बंधित प्रमाण पत्र (RCC) तथा प्लन एवं सेक्शन परमाणु प्रमाणित एवं अंतिम प्रमाण पत्र (RCC) प्रमाणित की जानी अनिवार्य होगी। अंतिम प्लन स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

18/11/22
राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

19/11/22
राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

20/11/22
राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

गल मानचित्र प्लन नं. 1183
दि. 19/11/22 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE

SECTIONS BLOCK (A)

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-IX, JAIPUR.

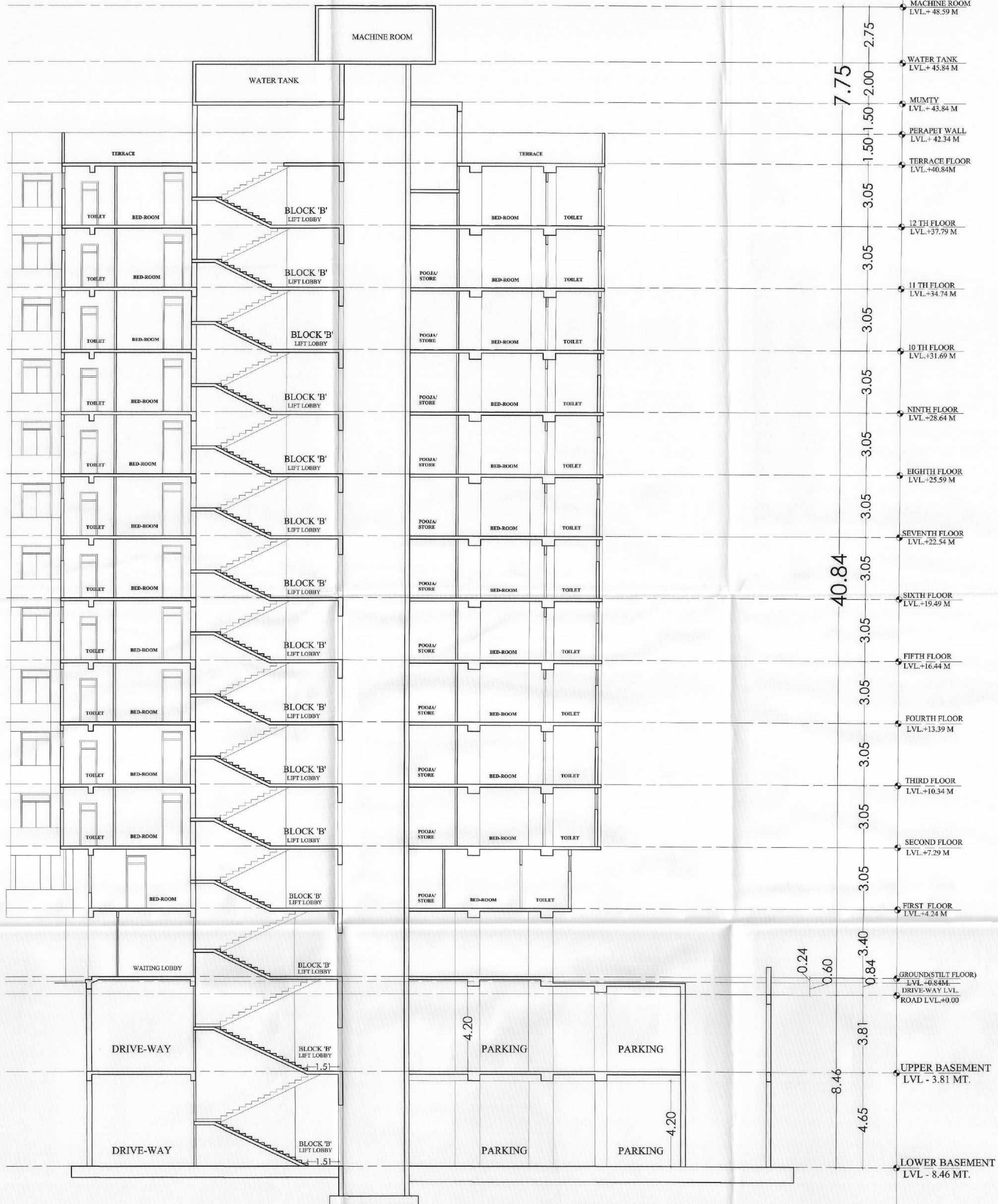
ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email - ideasjaipur@gmail.com, web - www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100 NORTH POINT

19/11/22
GRANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/9722030

OWNER ARCHITECT



BLOCK -B (SECTION -B'-B)



BLOCK -B (SECTION -A'-A)

SHEET NO. 14

SECTIONS BLOCK (B)

आवश्यक होने पर उपयोग के लिए प्रयोग किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

आवश्यक रूप से विकल्पित व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं उतर, मल निकास सेवाएं नगरपाल विभाग कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मॉडरेट पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मूल अंतिम समतल की ओर प्रस्तावित भवन में अंतिम प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू की जायेगी। अंतिम प्रमाण पत्र 15 मीटर ऊँचाई तक ही दिया जायेगा।

संशोधित मानचित्र अनुमोदित

Hashim
18/11/22
सहायक नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

Pranav
18/11/22
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

Shriharsh
18/11/22
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र नं. 483
दिनांक 13/11/22 के द्वारा जारी किया गया।

DRAWING TITLE
SECTIONS BLOCK (B)

PROJECT TITLE:
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT NO. 14 R1, SCHEME MANSAROVAR
DIVISION-4X, JAIPUR

ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideas@jaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

OWNER

ARCHITECT